राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/RACE/2020-21/**315;** दिनांक: 11 12 फरवरी 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: RACE योजना में DRAC की सत्र 2020–21 में द्वितीय बैठक के आयोजन के संबंध में।

सन्दर्भ: आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयुपर की ओर से जारी
पत्रांक : CCE/P&C/ISDC/RACE./2019/946; दिनांक: 12 जुलाई 2019,
पत्रांक: CCE/ISDC/RACE./2019/1354; दिनांक: 09 अक्टूबर 2019, एवं
पत्रांक: CCE/ISDC/RACE./2019/1766; दिनांक: 20 जनवरी 2020 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा फरवरी 2019 के बिन्दु संख्या 31 की कियान्विति में राज्य में कॉलेज शिक्षा विभाग में आरम्भ RACE योजना के संबंध में उपर्युक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से स्पष्टतः निर्देशित किया हुआ है कि प्रत्येक 02 माह के अन्तराल पर सभी जिलों में DRAC की बैठकें आयोजित की जानी होती हैं, जिनमें महाविद्यालयों की समस्याओं पर चर्चा, नवीन योजनाओं पर विमर्श एवं समस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान आदि पर चर्चा होना अपेक्षित है।

इस सत्र में दिसम्बर 2020 में DRAC की प्रथम बैठक आयोजित करवाई जा चुकी है। इसके माध्यम से कई जिलों में ऑनलाइन अध्यापन व्यवस्था एवं ई–कोन्टेन्ट्स साझा करके शिक्षण व्यवस्था बनाई गई। ऐसे सभी जिला एवं महाविद्यालय बधाई के पात्र हैं।

निर्देशित किया जाता है कि इसी माह में आवश्यक रुप से दिनांक **20 फरवरी 2021 तक DRAC की द्वितीय बैठक आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करें।** इस संबंध में लेख है कि –

1. इस बैठक में सभी सदस्य महाविद्यालयों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।
2. इस बैठक का आयोजन सदस्यों की यथा सहमति ऑनलाइन/ऑफलाइन करवाया जा सकता है।
3. बैठक का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालयों में यथा संभव शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करवाना है। अतः यथा निर्देश DRAC के माध्यम से नियमानुसार जीरो पोस्टिंग महाविद्यालयों में विषय संकाय सदस्यों की व्यवस्था करवायें। जिलें में किसी विषय के संकाय सदस्य उपलब्ध नहीं होने के कारण DRAC के माध्यम से व्यवस्था नहीं होने पर संयुक्त निदेशक HRD को अनुरोध भेजें, जिसकी प्रति संयुक्त निदेशक HRD तथा प्रभारी नवाचार प्रकोष्ठ, आकाशि को भी सूचनार्थ भिजवायें। आकाशि में आपके महाविद्यालय के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से संबंधितों को इस आशय की सूचना प्राप्ति सुनिश्चित करें।
4. DRAC के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था का दायित्व केवल 70 किमी की दूरी के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। इससे अधिक दूरी होने पर व्यवस्था हेतु आयुक्तालय संयुक्त निदेशक HRD को अनुरोध भेजें, जिसकी प्रति संयुक्त निदेशक HRD तथा प्रभारी नवाचार प्रकोष्ठ, आकाशि को भी सूचनार्थ भिजवायें। आकाशि में आपके महाविद्यालय के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से संबंधितों को इस आशय की सूचना प्राप्ति सुनिश्चित करें।
5. कोरोना उपरान्त कार्मिकों एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालयों के सुचारु संचालन की व्यवस्थाएं DRAC के माध्यम से सुनिश्चित करें। यह सभी का सामूहिक दायित्व है।
6. सदस्य महाविद्यालयों द्वारा किसी प्रकार की सहायता की मांग का अनुरोध लिखित में होना अनिवार्य है।
7. यथा संभव यह बैठक शनिवार के दिन आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करें। तथापि, बैठक तिथि का आयोजन DRAC अध्यक्ष एवं सभी सदस्य प्राचार्यों की सहमति से करते हुए आयोजन तिथि के संबंध में

आयुक्तालय की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी को सूचित करें। प्रभारी अधिकारी भी इस बैठक में ऑनलाइन/ऑफलाइन जुड़ेंगे।

8. बैठक आयोजन की तिथि क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा को भी सूचित करें। सभी क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा अपने संबंधित जिलों की इस बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
9. DRAC की बैठक के मिनिट्स, जिसमें मीटिंग में विमर्श किये गये मुद्दों, उन पर लिये गये निर्णयों एवं अनुशंसाओं सहित प्रगति सम्मिलित हो, की पूर्व निर्देशानुसार प्रति नवाचार प्रकोष्ठ की ई–मेल आई.डी. **innovation.cceraj@gmail.com** पर प्रेषित करें।
10. बैठक कार्यवाही का रिकार्ड महाविद्यालय स्तर पर भी संधारित करें ताकि किसी सूचना की आवश्यकता होने पर प्राप्त की जा सके।
11. तृतीय बैठक की तारीख को इस बैठक में तय करें ताकि सभी सदस्य गण पूर्व सूचित रहें। साथ ही, इसी क्रम में DRAC की आगामी बैठकें आयोजित करें।
12. DRAC अध्यक्ष प्राचार्यों के साथ शीघ्र ही एक ऑनलाइन मीटिंग श्रीमान आयुक्त के साथ अपेक्षित है। अतः आपके जिले की विगत सत्र की प्रगति एवं इस सत्र में की गई कार्यवाही के संबंध में तैयारी रखें।

इस संबंध में आयुक्तालय स्तर पर मार्गदर्शन/सहायता हेतु नवाचार एवं कौशल विकास के निम्नलिखित अधिकारियों से उनके मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क करें।

• डा. विनोद कुमार भारद्वाज	प्रभारी अधिकारी	94143 04650
• डा. शिवांगना शर्मा	सह आचार्य	94615 19852
• डा. ललिता यादव	सह आचार्य	95299 93619
• डा. विश्राम मीणा	सहा. आचार्य	99503 73686

12/2/21

सन्देश नायक, IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

पत्रांकः CCE/ISDC/RACE/2020/**316-317;** दिनांकः 11 (12) फरवरी 2021
सूचनार्थ प्रतिलिपिः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
6. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान।
7. सभी प्रभारी अधिकारी, महाविद्यालय समूह, आकाशि, जयपुर को प्रति भेजकर लेख हैं कि DRAC बैठक में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए आयुक्तालय को मिनिट्स भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

12/2/2021

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ